:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– सोनू कुमार गुर्जर आर.ए.एस.

मूकदमा नम्बरः– 5/24

1. श्रीमती कमली पति जीवा अहारी जाति मीणा निवासी नई बस्ती बडगामा।

वादी

बनाम

1. श्री शंकर पिता हरजी डामोर जाति मीणा निवासी चकचडियाला।
2. श्री कमजी पिता शंकर डामोर जाति मीणा निवासी चक चडियाला।
3. श्री भूमिधारी तहसीलदा चिखली।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्त. अधिनियम

उपस्थितः– अधिवक्ता श्री महेन्द्र जैन वादी की ओर से।

–:निर्णयः–

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीयॉ मौजा नई बस्ती बडगामा की रहने वाली है। वादीयॉ की मौजा चक चडियाला में कृषिभूमि है। मौजा नई बस्ती बडगामा एवं चक चडियाला पास पास में स्थित है।

यह कि वादीया के स्वामीत्व एवं खाते की मौजा चक चडियाला में खाता संख्या 5 का खसरा नम्बर 146/112 रकबा 0.6472 है0 रकबा है।

यह कि प्रतिवादीगण वादीया के स्वामीत्व एवं खाते की उक्त आराजीयात भूमि जो मुख्य सडक घण्टीधाला–कुंआ के खसरा नम्बर 173 जो कि रास्ते की भूमि की तरफ जबरन अतिक्रमण कर ईंटों से दुकान बनाते है। मना करने पर वादीया एवं उसके पति के साथ में मारपीट करने आमादा होते है इस संदर्भ में मुझ वादीया ने गत वर्ष भी उक्त आराजीयात का सीमांकन करवाया था।

यह कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से रोका नही गया तो वह मुझ वादीया के स्वामीत्व एवं खाते की उक्त आराजीयात खुर्द बुर्द कर देंगे। इसलिए उन्हे जरिये स्थायी निषेधाज्ञा रोका जाना न्याय हित में आवश्यक है।

वाद वादी की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र जैन द्वारा प्रस्तुत किया गया । वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेशचन्द्र डामोर ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। 19.07.2024 को वकील प्रतिवादीगण ने जवाब दावा पेश किया। 11.09.2024 को निम्नानुसार तनकीयात/विवाद्यक स्पष्ट की गई–

तनकी 1– आया वादी प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी में जरीये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

तनकी 2– आया प्रतिवादीगण वादी के वाद को खारिज कराने का अधिकारी है।

जिम्मे प्रतिवादी

तनकी 3– अन्य अनुतोष।

जिम्मे वादी/प्रतिवादी

पत्रावली साक्ष्य वादी में नियम की गई। वादी के अधिवक्ता ने साक्ष्य हेतु निम्नानुसार साक्ष्य प्रस्तुत किये–

PW1- श्रीमती कमली।

प्रदर्श 1– जमाबंदी संवत 2075–78

प्रदर्श 2– खसरा नक्शा ।

प्रदर्श 3– खसरा गिरदावरी।

प्रदर्श 4– पर्चा मौका दिनांम 09.06.2023 की छाया प्रति।

वकील प्रतिवादी ने जिरह पूर्ण की ।

PW2- श्री जीवा ।

PW3- श्री देवीलाल।

वकील प्रतिवादी ने जिरह नहीं की।

जिरह बंद कर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में नियम की गई।

27.08.2025 को वकुलाय पक्षकार उपस्थित हुए। अधिवक्ता प्रतिवादी ने साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नहीं करना चाहा अतः साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। पत्रावली वास्ते बहस में नियत की गई।

01.10.2025 को वकील वादी ने अपनी बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीया के स्वामीत्व एवं खाते की उक्त आराजीयात भूमि जो मुख्य सडक घण्टीधाला–कुंआ के खसरा नम्बर 173 जो कि रास्ते की भूमि की तरफ जबरन अतिकमण कर ईंटों से दुकान बनाते है। मना करने पर वादीया एवं उसके पति के साथ में मारपीट करने आमादा होते है इस संदर्भ में मुझ वादीया ने गत वर्ष भी उक्त आराजीयात का सीमांकन करवाया था। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से रोका नही गया तो वह मुझ वादीया के स्वामीत्व एवं खाते की उक्त आराजीयात खुर्द बुर्द कर देंगे। इसलिए उन्हे जरिये स्थायी निषेधाज्ञा रोका जाना न्याय हित में आवश्यक है।

महान अधिवक्ता ने अपनी बहस संपन्न की। विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में शामिल तथ्यों एवं साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तनकीवार यह निर्णय करना उचित समझता हुं कि–

तनकी 1– वादग्रस्त आराजी वादीया की खातेदारी आराजी होने से इसका निर्णय वादीया के पक्ष में करना उचित समझता हूँ।

तनकी 2– प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः इसका निर्णय वादीया के पक्ष और प्रतिवादी के विरूद्ध करना उचित समझता हूँ।

तनकी 3– आवश्यक नहीं।

आदेश

वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाता है कि मौजा चक चडियाला में खाता संख्या 5 का खसरा नम्बर 146/112 रकबा 0.6472 है0 में अतिकमण प्रतिवादीगण न तो स्वयं करे न ही अपने मित्र, एजेन्ट, परिवार व मजदुरो से करावें। न ही वादीया को उनकी खातेदारी आराजी में काश्त करने में रूकावट स्वयं पैदा करे न ही अपने मित्र, एजेन्ट, परिवार व मजदुरों से करावें। यह स्थाई निषेधाज्ञा सीमाज्ञान के अधीन रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2025 को सरेईजलास सुनाया गया।

(सोनू कुमार गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली

डिकरी व मुकदमें ईब्तदाई
(सिविल प्रोसिजरकोड एपेन्डियस डी–1)

अज–अदालत :–उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर चिखली जिला डूंगरपुर (राज0)

बईजलास– सोनू कुमार गुर्जर आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 5/24

दायर दिनांक :– 24.06.2025

निर्णय दिनांक :– 01.10.2025

1. श्रीमती कमली पति जीवा अहारी जाति मीणा निवासी नई बस्ती बडगामा।

वादी

बनाम

1. श्री शंकर पिता हरजी डामोर जाति मीणा निवासी चकचडियाला।
2. श्री कमजी पिता शंकर डामोर जाति मीणा निवासी चक चडियाला।
3. श्री भूमिधारी तहसीलदा चिखली।

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धार 188, 209 राज. काश्त. अधिनियम</u>

उपस्थितः– अधिवक्ता श्री महेन्द्र जैन वादी की ओर से।

प्रकरण में डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाता है कि मौजा चक चडियाला में खाता संख्या 5 का खसरा नम्बर 146/112 रकबा 0.6472 है0 में अतिक्रमण प्रतिवादीगण न तो स्वयं करे न ही अपने मित्र, एजेन्ट, परिवार व मजदुरो से करावें। न ही वादीया को उनकी खातेदारी आराजी में काश्त करने में रूकावट स्वयं पैदा करे न ही अपने मित्र, एजेन्ट, परिवार व मजदुरों से करावें। यह स्थाई निषेधाज्ञा सीमाज्ञान के अधीन रहेगा।
दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 01.10.2025 को जारी की गई।

(सोनू कुमार गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली

मुदई	रूपया/पैसा	मद्दायला	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूते मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बाबत इजराय मुत्तफरीक	00	स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबुते महनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बाबत इजराय मुत्तफरीक	00

(सोनु कुमार गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली